फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

शैतानसिंह **बनाम** अचलसिंह वगैरह

किस्म मुकदमा .....225..... मुकदमा नंबर.....78.....सन.....2021.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.09.2021	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सहायक कलक्टर, जालौर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 89/2021 बअनवान शैतानसिंह बनाम अचलसिंह वगैरा बनाम शंकर में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। हस्तगत प्रकरण में कैवियट प्रस्तुत है। जिस पर वकील कैवियटकर्ता को अपील मीमो एवं स्थगन प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि दिलाई गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। जिसमे जैर अपील आदेश पारित किया गया। जो विधि सम्मत नही है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था। इसी दरमीयान तारीख पेशी 18.08.2021 को अप्रार्थी संख्या 16, 26, 36, 38 द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश को आगे नही बढाने का निवेदन किया गया, तब जबाव हेतु तारीख पेशी दिनांक 06.09.2021 नियत की गई। उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश को आगे बढाया जाना न्यायोचित नही मानकर बिना अपीलांट के जबाव एवं बहस के ही उक्त आदेश को अपास्त कर दिया गया जो विधि के प्रावधानो के विपरित है। उक्त तथ्यों के अनुसार जैर अपील आदेश की पालना प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे एवं मौके व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश प्रदान करावे। वकील कैवियटकर्ता द्वारा दौरान बहस निवेदन किया गया कि जैर अपील आदेश उभयपक्षकारान को सुनकर के पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि सम्मत है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि धारा 188 का दावा खातेदार काश्तकार ही ला सकता है। उक्त कानूनी प्रावधान का हस्तगत प्रकरण मे अभाव है। अतः अपील में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे। वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से प्रकरण में अपीलांट ने अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश को अपास्त किया इससे व्यथित होकर के यह अपील पेश की है। अनावश्यक मुकदमें बाजी नही बढे, अपीलांट विक्रय इकरारनामे को लेकर के सक्षम सिविल न्यायालय में अपने हक हकूको के लिए 30 दिवस की अवधि	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में वाद प्रस्तुत करे। तब तक के लिए हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी में मौके की यथास्थिति उभयपक्षकारान बनाए रखे। उक्त आदेश की प्रति सहायक कलक्टर, जालौर एवं तहसीलदार जालौर को पालनार्थ भिजवाई जावे। परिणाम स्वरूप पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली